

dk; kly; ifyl v/khfk d tuin xks Mk fnuk d 26-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kad ds eisutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 okjMh vfhk; ä fxj rkrkj &

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना करनैलगंज पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

voŷk 'kjk ds fu"d"kzk] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl dk; bkgh&

01- Fkkuk dVjkcktkj }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. मोहरम अली पुत्र मो० शकील निवासी ग्राम फकीरनपुरवा मौजा छिटनापुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-504/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk dkOngkr }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. राम प्रसाद पुत्र स्व० मिटठू लाल सोनकर नि० ग्राम नैनागढ़ महादेवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-553/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

l jkguh; dk; l  
cs ukv  
ehfM; k l sy] tuin xks Mk  
fnukd 26-11-2022

yMdh dks cgyk&Od ykdj Hkxk ys tkus o ml ds l kfk n'deZ djus dk okfNr vfHk; jã  
fe'ku 'kfã vfHk; ku ds rgr fxj rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-राजू सिंह उर्फ बब्ले को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की की माँ द्वारा थाना को०देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rkj vfHk; jã&

01. राजू सिंह उर्फ बब्ले पुत्र रामकेवल सिंह निवासी ग्राम कुड़िया मौजा लक्ष्मनपुर जाट थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

i athkr vfHk; ksx&

01. मु०अ०सं० 545/2022 धारा 363,366,376 आईपीसी 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।

fxj rkj drkl Vhe&

उ०नि० सुभाष यादव मय टीम।

l jkguh; dk; l  
cs ukv  
ehfM; k l sy] tuin xks Mk  
fnukad 26-11-2022

Fkkuk othjxat ifyl us n'de/ djus o ohfM; k ok; jy djus dk okfNr vfhk; ä dks  
fe'ku 'kfä vfhk; ku ds rgr fd; k fxj rrkj &

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0सं0- 513ध2022 धारा 376, 342, 506 भादवि व 3/4 व 13/14 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सद्दाम उर्फ गद्दाम पुत्र मोहर अली निवासी नगवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rrkj vfhk; ä &

01. सद्दाम उर्फ गद्दाम पुत्र मोहर अली निवासी नगवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा

i athkr vfhk; ksx &

01. मु0अ0सं0-513/2022 धारा 376, 342, 506 भादवि, 3/4 व 13/14 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

fxj rrkj drkl Vhe &

01. निरीक्षक अरविन्द यादव थाना नवाबगंज मय टीम।
02. उ0नि0 गोपाल सिंह मय टीम थाना वजीरगंज मय टीम।

l jkguh; dk; l  
cs ukv  
ehfM; k l sy] tuin xks Mk  
fnukd 26-11-2022

/ku mxkgh o ekj ihV djus dk vkjksi h vfHk; iä fxj rkrj %&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने धन की उगाही व मारपीट करने के वांछित अभियुक्त-मन्नू सिंह उर्फ मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी दौलतराम वर्मा पुत्र मनीराम वर्मा नि० बधवा चौराहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा की बधवा चौराहा पर स्थित मिठाई की दुकान में जाकर धन की उगाई की थी न देने पर अभियुक्त द्वारा वादी को गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा भी था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

fxj rkrj vfHk; iä&

01. मन्नू सिंह उर्फ मनोज सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम तुर्काडीहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा

i athkr vfHk; ksx&

01. मु०अ०सं०-250/22, धारा 327,323,504,506,427 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

fxj rkrj drk&

उ०नि० शरद कुमार मय टीम।